CAN- 114/2025 अधि.- श्री एस.पी.तिवारी आप.पुन.क्र.04/2025 आदेश- 22-01-2025

न्यायालय- श्रीमान् सत्र न्यायाधीश महादय, जशपुर छ.ग.
पक्षकारन-श्रीमती रायमुनी भगत पति- श्री तारकेश्वर राम भगत, उम्र-54 वर्ष, पेशा-विधायक जशपुर, विधानसभा सदस्य छ.ग., निवासी- ग्राम-वार्ड- क्र.-02 सरनाटोली, जशपुर, तह. एवं जिला-जशपुर छ.ग. **बनाम** हेरमोन कुजूर, पिता-मार्टिन कुजूर, उम्र-51 वर्ष, निवासी ग्राम- ढेंगनी, थाना- आस्ता, जिला-जशपुर छ.ग., 2 जिला-दण्डाधिकारी, जिला-जशपुर छ.ग. में आदेश दिनांक 22-01-2025 की सत्यप्रतिलिपि ।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश जशपुर, जिला–जशपुर (छ०ग०)

(पीठासीन अधिकारी – मंसूर अहमद)

आप० पुनरीक्षण क्रं० 04/2025
संस्थित दिनांक 09/01/2025
सीआईएस नंबर 56/2025

श्रीमती रायमुनी भगत पति श्री तारकेश्वर राम भगत, उम्र 54 वर्ष, जाति उरांव, पेशा विधायक जशपुर, विधानसभा सदस्य छ०ग० विधानसभा, निवासी ग्राम वार्ड क्रं० 02 सरनाटोली, जशपुर तह० एवं जिला जशपुर (छ०ग०) ....**पुनरीक्षणकर्ता**

– **विरूद्व** –

1. हेरमोन कुजूर पिता मार्टिन कुजूर, उम्र 51 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम ढेंगनी, थाना आस्ता, जिला– जशपुर (छ०ग०)

2. जिला दण्डाधिकारी, जिला जशपुर (छ०ग०)

.........................**उत्तरवादीगण**

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री एस० पी० तिवारी, अधिवक्ता।
उत्तरवादी की ओर से श्री विष्णु प्रसाद कुलदीप अधिवक्ता ।

न्यायाधीश सत्र खण्ड जशपुर (छ.ग.)

22/01/25
(मंसूर अहमद)
सत्र न्यायाधीश
जशपुर (छ०ग०)

रद्द किया प्रतिलिपि विभाग जशपुर नगर
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

रद्द किया प्रतिलिपि विभाग जशपुर नगर
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
प्रतिलिपि अनुभाग
जशपुर

- आदेश -

(आज दिनांक 22/01/2025 को पारित)

01. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रं० 10/2025 हेरमोन कुजूर विरुद्व श्रीमती रायमुनी भगत मे पारित आदेश दिनांक 06.01.2025 जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्व धारा 196, 299, 302 बी.एन.एस. एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 का अपराध पंजीबद्व किया जाकर पुनरीक्षणकर्ता की उपस्थिति के लिए समंस जारी करने का आदेश दिया गया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है ।

02. पुनरीक्षण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि उत्तरवादी/परिवादी के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर के न्यायालय मे एक परिवाद अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्व धारा 196, 299, 302 बी.एन.एस. एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 प्रस्तुत किया था जिस पर न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा परिवादी एवं साक्षियो का कथन

22/01/25
(मंसूर अहमद)
सत्र न्यायाधीश
जशपुर (छ०ग०)

Scanned with CamScanner

लेखबद्ध किया गया और परिवादी और साक्षियो के कथन तथा उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावाजों के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाये जाने पर उक्त धाराओ के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर पुनरीक्षणकर्ता की उपस्थिति हेतु समंस जारी करने का आदेश दिया गया है ।

03. **पुनरीक्षण के आधार–**

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर द्वारा आप०प्रकरण क्रं० 10/2025 मे पारित आदेश दिनांक 06.01.2025 को निम्नलिखित आधारो पर चुनौती दी गयी है–

1. विचारण न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल जाकर तथा पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना विवादास्पद आदेश दिनांक 06.01.2025 पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है ।
2. विचारण न्यायालय द्वारा बिना राज्य सरकार के अनुमति के अपराध का संज्ञान लिया गया है, जिसके कारण आदेश दिनांक 06.01.2025 अपास्त किए जाने योग्य है । उक्त दोनो आधारो पर पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा आलोच्य आदेश

22/01/25

(मंसूर अहमद)
सत्र न्यायाधीश
जशपुर (छ०ग०)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिलिपि अनुभाग

दिनांक 06.01.2025 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया है ।

04. **विचारणीय प्रश्न–**

क्या, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर के द्वारा आप०प्रकरण क्रं० 10/2025 हेरमोन कुजूर विरुद्व श्रीमती रायमुनी भगत मे पारित आदेश दिनांक 06.01.2025 पूर्णतः विधिक आधारो पर आधारित न होने से अपास्त किए जाने योग्य है?

<u>विचारणीय प्रश्न पर निष्कर्ष एवं आधार</u>–

05. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर के न्यायालय के आप०प्रकरण क्रं० 10/2025 हेरमोन कुजूर विरुद्व श्रीमती रायमुनी भगत का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उत्तरवादी/परिवादी के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर के न्यायालय मे एक परिवाद अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्व धारा 196, 299, 302 बी.एन.एस. एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 प्रस्तुत किया था जिस पर न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा परिवादी एवं साक्षियो का कथन लेखबद्व

22/01/25

(मंसूर अहमद)
सत्र न्यायाधीश
जशपुर (छ०ग०)

Scanned with CamScanner

किया गया और परिवादी और साक्षियो के कथन तथा उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावाजों के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाये जाने पर उक्त धाराओ के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर पुनरीक्षणकर्ता की उपस्थिति हेतु समंस जारी करने का आदेश दिया गया है ।

06. उत्तरवादी/परिवादी के द्वारा यह परिवाद अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है । धारा 223 बी.एन.एस.एस. इस प्रकार है– परिवादी की परीक्षा– जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करेगा तब परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित हैं तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियो द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा:

परन्तु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा :

07. धारा 223 के परंतुक से स्पष्ट है कि अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाना आज्ञापक है इस

22/01/25

(मंसूर अहमद)
सत्र न्यायाधीश
जयपुर (ग्रा०)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर प्रतिलिपि अनुभाग

संबंध मे पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **श्री बासानागौड़ा आर पाटील विरुद्ध श्री शिवानंदा एस पाटील दांडिक याचिका क्रं० 7526/2024 आदेश दिनांक 27.09.2024** अवलोकनीय है ।

08. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर के आप०प्रकरण क्रं० 10/2025 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व अभियुक्त को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है । इस प्रकार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर के द्वारा धारा 223 बी.एन.एस.एस. के आज्ञापाक प्रावधान का पालन नही किया गया है ।

09. पुनरीक्षणकर्ता के जहाँ तक दूसरे आधार का प्रश्न है कि पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध अपराध का संज्ञान बिना राज्य शासन के अनुमति के लिया गया है जबकि पुनरीक्षणकर्ता एम.एल.ए. है जो कि लोक सेवक है और धारा 217 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है । बी.एन.एस.एस. की धारा 217 पूर्व की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के समकक्ष है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **आर०एस० नायक विरुद्ध ए० आर० अनतुले**

24.01.25

(मंसूर अहमद)
सत्र न्यायाधीश
जशपुर (छ०ग०)

Scanned with CamScanner

के प्रकरण में एम०एल०ए० को भा०दं०संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक नही माना है । इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय दृष्टांत **द स्टेट आफ केरला विरुद्ध के. अजीथ एवं अन्य ए० आई० आर० 2021 एस०सी० 3954** मे प्रतिपादित किया है कि चूंकि एम०एल०ए० लोकसेवक के परिभाषा मे नही आते इसलिए उनके विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने के लिए शासन की अनुमति आवश्यक नहीं है ।

10. उपरोक्त विवेचना पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा लिया गया प्रथम आधार कि न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर के द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने से पूर्व पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर नही दिया उचित प्रतीत होता है । न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर के द्वारा दिनांक 06.01.2025 को पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध धारा 196, 299, 302 बी.एन.एस. एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने से पूर्व पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जिसके कारण न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर द्वारा आप०प्रकरणक्रं० 10/2025 हेरमोन कुजूर विरुद्ध

(मंसूर अहमद)
सत्र न्यायाधीश
जशपुर (छ०ग०)

Scanned with CamScanner

श्रीमती रायमुनी भगत मे पारित आदेश दिनांक 06.01.2025 पूर्णतः विधिक आधारो पर आधारित न होने से स्थिर रखे जाने योग्य प्रतीत नही होता । अतः आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2025 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे परिवाद पर संज्ञान लेने से पूर्व पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करें और उसके पश्चात पुनः आदेश पारित करें ।

तदनुसार पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गयी ।

11. आदेश की प्रति न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जशपुर को पालनार्थ भेजी जाये।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया।

Sd/- 27/01/25
(मंसूर अहमद)
सत्र न्यायाधीश
जशपुर (छ०ग०)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

Sd/- 27/01/25
(मंसूर अहमद)
सत्र न्यायाधीश
जशपुर (छ०ग०)

1	23-01-25	आवेदन पत्र की प्राप्ति दिनांक
2	30-01-25	आवेदक की उपस्थिति हेतु दी गई दिनांक
3	23-01-25	आवेदक के उपस्थित होने का दिनांक
4	23-01-25	आवेदन पत्र और भी तथा सही विवरणों सहित या प्रतिलिपिअभिलेखागार को भेजने का दिनांक
5	23-01-25	आवेदन पत्र अभिलेखागार से (अभिलेख के साथ या और भी या सही विवरणों के लिये बगैर अभिलेख के) प्राप्त होने का दिनांक
6	—	आवेदक को और भी तथा सही विवरण देने की सूचना देने का दिनांक
7	—	आवेदक को और धन जमा करने की सूचना देने का दिनांक
8	—	स्तम्भ (6) या (7) की सूचना के पालन का दिनांक
9	23-01-25	प्रतिलिपि तैयार का दिनांक
10	23-01-25	प्रतिलिपि देने या भेजने का दिनांक
11	16/—	वसूल की गई न्याय शुल्क

मुख्य प्रतिलिपिकार   मिलानकर्ता   प्रतिलिपिकार

सत्यप्रतिलिपि
मुख्यप्रतिलिपिकार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
जशपुर

Scanned with CamScanner